



462

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र०/भू-प्रबंध/विविध/115-818/939
प्रति,

रायपुर, दिनांक 19/04/2022

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन

नवा रायपुर, अटल नगर

विषय: — Proposed for non-forestry of 255.300 ha. Forest land under Forest Conservation Act, 1980 in favour of Dy. Director Achanakmar Tiger Reserve (ATR) for Relocation of villages in Mungeli Forest Division from the Core Area of ATR in Bilaspur District (Chhattisgarh) – regarding.

— पंजीयन क्रमांक/FP/CG/Trans/ 16561/ 2015

- संदर्भ :-** 1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक F.No.8-93/ 2013-FC (pt) दिनांक 13.12.2021
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक / क्रमांक/ तक / 1670 दिनांक 28.02.2022
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण), छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक/ व.प्रा /प्रबंध-56/1535 दिनांक 13.04.2022

-00-

संदर्भित पत्र - 1 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मुंगेली जिला अंतर्गत Core Area Achanakmar Tiger Reserve (ATR) for Relocation of villages in Mungeli Forest Division रकबा 255.300 हे. वन क्षेत्र के व्यवस्थापन प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त के संदर्भित पत्र-2 से इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण, छत्तीसगढ़ के संदर्भ पत्र-3 के माध्यम से व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्रामों के संशोधित व्यवस्थापन प्रस्ताव अनुशांसा सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। अतएव संदर्भ पत्र 2 एवं 3 से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रथम चरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

A. Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department and compliance is to be submitted prior to Stage-II approval.

क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
i.	State Government shall submit the certificate of compliance under FRA, in both the areas i.e. the area being vacated and the area where the people will be relocation.	व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं रिक्त की जा रही क्षेत्र में जिला कलेक्टर का वन अधिकार वितरण संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है (संलग्नक-1)।

क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
ii.	The area to be vacated shall be mutated in the name of State Forest Department and notified as RF/PF.	ए.टी.आर के कोर एरिया से रिक्त की जा रही क्षेत्र पूर्व से आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित हैं। अतः वन विभाग के नाम से नामांतरण एवं आर.एफ./पी.एफ के रूप में अधिसूचना कराने की आवश्यकता नहीं है।
iii.	State Government shall ensure that the area under the three villages that are proposed to be shifted outside the Achanakmar Tiger Reserve (ATR) will become inviolate after the shifting and not a single family, person or household is left within any of these villages for further relocation.	शर्त आवेदक उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व, लोरमी को मान्य हैं। वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-2)।
iv.	The State Govt. shall submit the approved R&R Plan from the concerned authority. and	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी छत्तासगढ़ के संदर्भ पत्र 3 से प्राप्त R&R Plan की प्रति संलग्न है (संलग्नक-3)।
v.	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	शर्त आवेदक उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व, लोरमी को मान्य हैं। वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-4)।

B. Conditions which need to be complied on field after handing over of forest land to the user agency by the State Forest Department and undertaking in this respect shall be submitted prior to Stage-II approval.

क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
i.	Legal status of the diverted forest land may be changed to non-forest land by the state in accordance with Hon'ble Supreme Court order dated 28.01.2019 and Ministry's Guidelines dated 20.05.2019.	शर्त आवेदक उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व, लोरमी को मान्य हैं। वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-5)।
ii.	State Government shall take effective steps to ensure that the villagers who are being relocated from the core area, do not return to the area.	शर्त आवेदक उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व, लोरमी को मान्य हैं। वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-6)।
iii.	No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest area.	शर्त आवेदक उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व, लोरमी को मान्य हैं। वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-7)।
iv.	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under the supervision of the State Forest Department.	शर्त आवेदक उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व, लोरमी को मान्य हैं। वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-8)।
v.	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act 1986, if required.	शर्त आवेदक उप संचालक, अचानकमार

462

क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
		टाईगर रिजर्व, लोरमी को मान्य हैं। वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-9)।
vi.	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government and the forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.	शर्त आवेदक उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व, लोरमी को मान्य हैं। वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-10)।
vii.	The forest land proposed to be diverted may be transferred by the State Government to villagers being rehabilitated.	शर्त आवेदक उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व, लोरमी को मान्य हैं। वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-11)।
viii.	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.	शर्त आवेदक उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व, लोरमी को मान्य हैं। वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-12)।
ix.	The User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year.	शर्त आवेदक उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व, लोरमी को मान्य हैं। वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-13)।
x.	Any other condition that the concerned Integrated Regional Office of this Ministry may stipulate with the approval of competent authority in the interest of conservation, protection and development of forests & wild life.	शर्त आवेदक उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व, लोरमी को मान्य हैं। वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-14)।
xi.	The user agency shall comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any for the time being in force, as applicable to the project, and	शर्त आवेदक उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व, लोरमी को मान्य हैं। वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-15)।
xii.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of comprehensive guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No 5-2/2017-FC dated 28.03.2019.	शर्त आवेदक उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व, लोरमी को मान्य हैं। वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-16)।

अतः प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का उपरोक्तानुसार पालन प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। कृपया प्रकरण में अंतिम चरण स्वीकृति हेतु भारत सरकार, नई दिल्ली को लेख करने का कष्ट करें।

संलग्न :- संलग्नक 1 से 16 तक एवं

संदर्भ पत्र-3 की छाया प्रति मय संलग्नक (2 प्रतियों में)

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-818/ 940
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

रायपुर, दिनांक 19/04/2022

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण), छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, नवा रायपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव एवं क्षेत्रीय निदेशक अचानकमार टाईगर रिजर्व कोनी, बिलासपुर।
4. उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी, जिला मुंगेली।
5. वनमण्डलाधिकारी, मुंगेली वन मण्डल, मुंगेली।

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व. सं. अ)
O/C छत्तीसगढ़



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र०/भू-प्रबंध/विविध/115-818/1457
प्रति,

रायपुर, दिनांक 16/06/2023

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

- विषय:** — **Proposed for non-forestry of 255.300 ha. Forest land under Forest Conservation Act, 1980 in favour of Dy. Director Achanakmar Tiger Reserve (ATR) for Relocation of villages in Mungeli Forest Division from the Core Area of ATR in Bilaspur District (Chhattisgarh) – regarding.**
— **पंजीयन क्रमांक/FP/CG/Trans/ 16561/ 2015**

- संदर्भ :-** 1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक F.No.8-93/ 2013-FC (pt) दिनांक 20.02.2023
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/तक /1468 दिनांक 25.05.2023

-00-

संदर्भित पत्र-1 के माध्यम से विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 05 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।


उक्तानुसार जानकारी संदर्भित पत्र-2 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है तथा वन मंडलाधिकारी मुंगेली से प्रकरण का प्रथम चरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन ई-पोर्टल में आनलाईन अपलोड कराये जाने के फलस्वरूप वांछित बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

क्र.	वांछित जानकारी	पालन प्रतिवेदन
i.	State Government has submitted FRA certificate without supporting documents like gram sabha resolution, DLC and SDLC. the same need to be submitted by the State Government before Stage-II approval.	वन अधिकार पत्र के संदर्भ में ग्रामसभा का कार्यवाही विवरण एवं अनुविभाग स्तरीय वन अधिकार समिति लोरमी, जिला मुंगेली की बैठक का कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-1)
ii.	In compliance to condition no. (ii) of Stage-I approval, the State Government informed that the area to be vacated is already notified as reserve forest and area need not to be mutated in the name of state forest department and notified as RF/PF. in the regard the State Government may be requested to provide copy of notification.	अभ्यारण्य क्षेत्र की सीमा से रिक्त किये जाने हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र पूर्व से आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित है। तदाशय का अभिलेख/दस्तावेज संलग्न है। (संलग्नक-2)
iii.	The enclosed R&R plan copy as per the State Government letter dated 07.07.2022 (received in this ministry by email on 06.02.2023) is not received in the Ministry – The State Government is requested to	अभ्यारण्य क्षेत्र की सीमा में स्थित वन ग्राम तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा के 133 परिवारों की व्यवस्थापन हेतु अनुमोदित R&R

क्र.	वांछित जानकारी	पालन प्रतिवेदन
	submit the R&R plan copy.	plan की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-3)
iv.	State Government has not uploaded The complete compliance report on PARIVESH portal the same need to be uploaded.	वन मंडलाधिकारी मुंगेली द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन PARIVESH portal में अपलोड की गई है एवं कार्यालयीन पत्र दिनांक 19.04.2022 द्वारा प्रेषित पालन प्रतिवेदन पत्र अपलोड किया गया है। टाईम लाईन एवं पार्ट-2 की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-4)
v.	State Government has not submitted undertaking with respect to conditions No. B(ii) of Stage-I approval letter dt. 13.12.2021 as mentioned in the letter dated 07.07.2022 the same need to be submitted.	आवेदक संस्थान उप संचालक अचानकमार टायगर रिजर्व, लोरमी द्वारा स्वीकृति के शर्त क्रमांक B(ii) के अनुक्रम में दिया गया वचन पत्र एवं उनके पत्र दिनांक 31.03.2023 द्वारा दी गई जानकारी संलग्न है। (संलग्नक-5)

उपरोक्तानुसार वांछित जानकारीयों का पालन प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। कृपया प्रकरण में अंतिम चरण स्वीकृति हेतु भारत सरकार, नई दिल्ली को लेख करने का कष्ट करें।

संलग्न :- संदर्भ पत्र-2 की छाया प्रति
मय संलग्नक (2 प्रतियों में)



अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-818/1458

रायपुर, दिनांक 16/06/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण), छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, नवा रायपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव एवं क्षेत्रीय निदेशक, अचानकमार टाईगर रिजर्व कोनी, बिलासपुर।
4. उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी, जिला मुंगेली।
5. वनमण्डलाधिकारी, मुंगेली वन मण्डल, मुंगेली।


अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़